भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.19	33 के. व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत् स्थापनाओं के रेखा चित्र का अनुमोदन (भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक.	7 दिन	विशेष कर्तव्य अधिकारी, म. प्र. शासन उर्जा विभाग.	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग.
1.20	33 के. व्ही. से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत् स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging Permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात्).	मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत् निरीक्षक.	7 दिन	विशेष कर्तव्य अधिकारी, म. प्र. शासन उर्जा विभाग.	15 दिन	विभागीय सचिव, म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.